अध्याय 6

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने पणधारियों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) के सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित मुद्दे की जांच की और पाया कि" "राज्य " का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह कल्याण राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सक्रिय भूमिका निभाये, जो कि उद्यम के वित्तीय स्थिति का विषय होगा"। कोपू की सिफारिशों के आधार पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों में आवश्यक रूप से अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के तहत् संगठन के अंतर्नियमों के अनुसार सामाजिक दायित्व कारोबार प्रथाओं का पता लगाने का कार्य निदेशक मंडल पर छोड़ दिया गया।

6.2 सीएसआर पर डीपीई के वर्तमान दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने 9 अप्रैल 2010 को सीएसआर पर नये दिशानिर्देश जारी किये, जो विशिष्ट और व्यापक थे और जिसमें संबंधित सीपीएसई को सामाजिक और पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ एकीकृत करके सीएसआर के तहत् कारोबार योजना बनाना अपेक्षित था। इन दिशानिर्देशों में सीएसआर के साथ सतत् विकास के लिंक पर ज़ोर दिया और सीएसआर को एक तत्व ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जहां संगठन अपने कार्यकलापों के ग्राहकों, कर्मचारियों, शेयर धारकों, समुदायों तथा अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में पर्यावरण पर प्रभाव की जिम्मेदारी लेकर समाज के हित की सहायता करते हैं।

दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा सीएसआर के लिए कार्यकलापों का जनादेश और कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं तथा कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय और सीपीएसईज़ के सीएसआर पहलुओं के प्रलेखन और मानीटरिंग के लिए एक चार्टर के स्वरूप में हैं।

दिशानिर्देशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत रूप से नीचे दी गई हैं:

- ❖ सीपीएसईज़ को सीएसआर योजनाओं/परियोजनाओं की पहचान के लिए डीपीई द्वारा निर्दिष्ट मापदंडों पर विचार करना चाहिए।

- सीएसआर के तहत पहचानी गई परियोजनाएं विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए और न कि उसके अपने स्टाफ द्वारा।
- सीपीएसई को सीएसआर कार्यकलापों को डील करने के लिए स्वतंत्र मण्डल, विभाग, अनुभाग, सैल आदि स्थापित करने चाहिए परन्तु स्टाफ का वेतन सीएसआर बजट/व्यय का हिस्सा नहीं होगा।
- सीएसआर कार्य-कलापों का प्रभाव किसी सीएसआर परियोजना को आरम्भ करने से पहले सीपीएसई द्वारा सृजित किये जाने वाले बेसलाइन डाटा के संदर्भ में बेहतर संभावित सीमा तक परिमाणित किया जाना चाहिए।
- सीएसआर दृष्टिकोण, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यय, खरीद आदि से संबंधित अति संविधान दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए (विशेष रूप से इंटरनेट द्वारा)।
- प्रत्येक सीपीएसई को प्रव्यक्ष और वित्तीय प्रगति से संबंधित तथ्यों सहित सीएसआर कार्यकलापों परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रतिवेदन में अलग से पैराग्राफ/अध्याय शामिल करना चाहिए।

6.3 सीएसआर कार्य-कलापों का मॉनीटरिंग तंत्र

प्रत्येक सीपीएसई और भारत सरकार के संबंद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के मध्य एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षर किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 के लिए डीपीई द्वारा निर्धारित एमओयू दिशा-निर्देशों में 5 *प्रतिशत* अनिवार्य भारिता के साथ "गैर-वित्तीय पैरामीटरों" के अधीन "सीएसआर" को आवश्यक तत्व के रूप मे शामिल किया गया था। चूंकि सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू पैरामीटरों में विभाजित किया गया है, अतः प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सीपीएसईज़, सीएसआर के अधीन अपना निष्पादन निर्धारित करने के लिए अपने लक्ष्य नियत करते हैं और इन कम्पनियों का निष्पादन नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है।

6.4 2012-13 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी

डीपीई के सीएसआर पर दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि सीपीएसई बजट निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निम्नलिखित तरीके से अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष सृजित किया जाना चाहिए।

सीपीएसईज़ के प्रकार कर के उपरान्त निवल लाभ (पूर्व वर्ष)	*एक वितीय वर्ष में सीएसआर के लिए व्यय रेंज (कर के उपरांत निवल लाभ का प्रतिशत)*
(i) ₹ 100 करोड़ से कम	3% - 5%
(ii) ₹ 100 करोड़ से ₹ 500 करोड़	2% - 3% (₹ 3 करोड़ के न्यूनतम के अधीन)
(iii) ₹ 500 करोड़ और अधिक	0.5% - 2%

दिशानिर्देशों में पुन: स्पष्ट किया गया था कि बजट की बिना व्यय की गई राशि सीएसआर निधि को हस्तांतरित की जायेगी, जो संचित हो जायेगी और व्यपगत नहीं होगी। हानि उठाने वाले सीपीएसईज़, सीएसआर कार्य-कलापों के लिए अधिदेशित नहीं है।

वर्ष 2012-13 के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की लेखापरीक्षा समीक्षा 103 सीपीएसईज़ के लिए की गई, जिसने वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक निवल लाभ अर्जित किया। निवल लाभ की मात्रा के विभिन्न वर्गों के तहत् कई सीपीएसईज़ के संबंध में सीएसआर पर डीपीई दिशोनिर्देशों के अनुपालन की स्थिति नीचे संक्षेप में दी गई है।

कर के उपरान्त निवल लाभ (2011-12 के दौरान रेंज)	डीपीई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम राशि के प्रति सीएसआर पर खर्च की गई/वचनबद्ध की गई राशि पर 2012-13 के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों पर सीपीएसईज का अनुपालन			
	कुल	न्यूनतम अपेक्षित	कमी	अधिक
	(आंकड़े ''सीपीएसईज की संख्या'' में)			
₹ 500 करोड़ से अधिक	38	3	12	23
₹ 100 करोड़ – ₹ 500 करोड़	23	5	10	8
₹ 10 करोड़ – ₹ 100 करोड़	42	9	19	14
कुल	**103**	**17**	**41**	**45**

मुख्य 10 सीपीएसईज़ का ब्यौरा, जिन्होने वर्ष 2012-13 के दौरान सीएसआर बजट/व्यय के लिए न्यूनतम अपेक्षा पूरी नहीं की, को नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ	दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय	सीएसआर पर व्यय की गई राशि	सीएसआर के लिए उपलब्ध आरक्षित की गई राशि	न्यूनतम निर्धारित से सीएसआर तुलना में कमी
		2011-12	**2012-13**			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	**(g)=(e+f)-(d)**
1	मझगांव डॉक लिमिटेड	494.31	9.89	2.63	0	-7.26
2	ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	962.13	4.81	0	0	-4.81
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	822.00	4.11	0	0	-4.11
4	अन्तरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	170.98	3.42	0	0	-3.42
5	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	111.99	3.00	0.02	0	-2.98
6	रेल टेल कार्पोरेशन ऑफ	85.85	2.57	0	0.27	-2.30

	इंण्डिया					
7	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	71.04	2.13	0	0	-2.13
8	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	111.93	3.00	0.12	0	-2.88
9	भारत डायनोमिक्स लिमिटेड	288.40	5.77	1.32	3.38	-1.07
10	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	126.73	2.53	1.47	0	-1.06

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- ₹ 10 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले कुल 103 सीपीएसईज़ में से 41 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। इस प्रकार, कई सीपीएसईज के संबंध में अनुपालन लगभग 60 प्रतिशत था।
- ₹ 10 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन आशाप्रद नहीं था क्योंकि 65 सीपीएसईज में से 29 ने सीएसआर बजट/व्यय की न्यूनतम अपेक्षाओं का पालन नहीं किया और सीपीसईज की संख्या के संबंध में अनुपालन केवल 55 प्रतिशत था।
- बड़े सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया, के बीच अनुपालन तुलनात्मक रूप से आशाप्रद था, इस पर विचार करते हुए कि 38 सीपीएसई में से केवल 12 में कमी थी और 23 सीपीएसईज़ ने सीएसआर के लिए न्यनूतम अपेक्षा से अधिक राशि व्यय/उपलब्ध कराई थी।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि सनदी लेखाकार संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सलाह के अनुसार सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए लाभ के विनियोजन के रूप में आरक्षित सृजित किया जाए। तथापि, कुछ सीपीएसईज़ आरक्षित के रूप में राशि विनियोजन के बजाय सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए देयता के प्रावधान सृजित कर रहे थे। डीपीई सीएसआर के प्रति खर्च न की गई राशि के लिए एकरूप लेखांकन पर बल देने वाली सीसीएसईज को निदेश जारी करने पर विचार करें।

6.5 अप्रैल 2013 से सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में परिवर्तन

डीपीई ने अपने सीएसआर दिशानिर्देशों में संशोधन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में बड़ी मात्रा में नीति सामग्री में निषेचन हुआ है। सरकार सहित मुख्य पणधारकों की अपेक्षाए सीएसआर तथा निरंतरता पर नीतिगत निर्णय को बनाती हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों में हुए मुख्य परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:

- सीपीएसईज से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, कार्यकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाह्यों के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित भार बनाते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें। पुराने दिशानिर्देश मुख्यतः बाहरी पणधारकों के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर केन्द्रित थे।

- सीपीएसईज को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।
- सीपीएसईज से पूरे समय सामाजिक उत्तरदायित्वों के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। अपने सामान्य कारोबार कार्यकलापों में भी सीपीएसईज को इस प्रकार कारोबार करने का प्रयास करना चाहिए जोकि व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।
- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो सीएसआर को चलाने तथा सीपीएसई के स्थिरता एजेंडा को सम्भाल सके।
- सीपीएसईज को वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण कार्यकलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के लिए कारण बताने होंगे।
- उनकी संख्या की बजाए उनके आकार तथा प्रभाव के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजना पर उसकी मापक्रमणीयता पर जोर दिया जाता है।
- संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर तथा निरंतरता बजट से बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी पणधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज के कर्मचारियों (आन्तरिक पणधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग मात्र प्रासंगिक है तथा लाभधारकों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से कम तक सीमित रहे।
- विगत वर्ष में कर के बाद ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसईज के लिए सीएसआर तथा स्थिरता कार्यकलापों के लिए बजटीय आबंटन पहले 0.5% - ,2% के बीच से 1% - 2% तक बढ गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष ₹ 100 से ₹ 500 करोड़ तक कर के बाद लाभ कमाने वाले सीपीएसईज के लिए, सीएसआर हेतु ₹ 3 करोड़ की बजट की न्यूनतम अपेक्षा हटा दी गई है।